एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या- 2730/2003

24.05.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री विनोद त्यागी,अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री संदीप माथुर, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/ दावेदारान्।

अपीलार्थी न्यू इण्डिया कम्पनी लि. की ओर से यह सिविल विविध अपील मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, टोंक के पंचाट दिनांक- 25.8.2003 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/दावेदारान् को 4,38,000/-रूपये (अक्षरे चार लाख अड़तीस हजार) क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने के निर्देश दिए गये हैं।

निर्विवाद रूप से अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से कोई साक्ष्य दावेदारान् की ओर से अधीनस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में प्रस्तुत नहीं की गई थी इसके बावजूद यह अपील इस न्यायालय में आक्षेपित पंचाट के विरूद्व इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी /दावेदारान् द्वारा अधीनस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत क्लेम याचिका पोषणीय नहीं थी। उन्होंने मेरे समक्ष क्लेम याचिका के प्रस्तुत लिखित उत्तर को पढ़ा जिसमें अभिकथित किया गया है कि दुर्घटना के समक्ष वाहन चालक के पास वाहन संचालन का वैध व प्रभावी अनुज्ञा-पत्र नहीं था और वाहन स्वामी द्वारा बीमा पॉलिसी की संविदा की शर्तों का पालना नहीं किया गया है। यह भी अभिकथित किया है कि अन्तर्ग्रस्त वाहन अपीलार्थी बीमा कम्पनी के यहां कृषि कार्य हेतु बीमित था और इस आधार पर प्रत्यर्थी/ दावेदारान् की क्लेम याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को आद्योपांत सुना गया तथा आक्षेपित पंचाट का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

अपीलार्थी/ बीमा कम्पनी के लिए यह स्थापित करना आवश्यक था कि बीमा पॉलिसी की संविदा की शर्तों का उल्लंघन वाहन स्वामी की जानकारी में हो रहा था।जैसा कि सोहन लाल पस्सी बनाम् पी. शेष रेड्डी (AIR 1996 SUPREME COURT -2627) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा अवधारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में निम्न अवधारण व्यक्त की गई है:-

> "The insurer has also to satisfy the Tribunal or the Court that such violation or infringement on the part of the insured was wilful. If the insured has taken all precautions by appointing a duly licensed driver to drive the vehicle in question and it has not been established that it was the insured who allowed the vehicle to be driven by a person not

duty licensed, then the insurance company cannot repudiate its statutory liability under sub-section (1) of the Section 96.

उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा व्यक्त उक्त अवधारणा के दृष्टिगत अपीलार्थी बीमा कम्पनी का यह कर्तव्य था कि वह विद्वान अधीनस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उचित प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करती तथा प्रतिवाद पत्र में अभिकथित तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करती। प्राय: यह देखा गया है कि बीमा कम्पनी अधीनस्थ न्यायाधिकरणों के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना ही अधीनस्थ न्यायाधिकरणों के पंचाटों को रूटीन में चुनौती दे देती है और पहली बार अपील में बीमा कम्पनी द्वारा ऐसे आक्षेप लिए जाते हैं जो उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायाधिकरणों के समक्ष नहीं लिए गये थे। बीमा कम्पनियों की इस प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं, इस अपील में कोई बल नहीं पाता हूं।

परिणामत: यह सिविल विविध अपील निरस्त की जाती है।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)